लिहाजा प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड तहसील सादुलशहर के वाके चक 15 एसडीएस की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 63/63 में प्रार्थी के नाम 9/29 हिस्सा यानि 2.277 है0 भूमि बलजिन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाता में प्रार्थी का नाम बलजिन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह की जगह पर दुरूस्ती कर प्रार्थी का सही नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का वास्तव मे नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह है। परन्तु चक 15 एसडीएस की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 63/63 में प्रार्थी के नाम 9/29 हिस्सा यानि 2.277 है0 भूमि बलजिन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाकर सही करवाना चाहता है। सरपंच ग्राम पंचायत 4 एमएल व तहसीलदार रिपोर्ट में तस्दीक किया गया है कि बलविन्द्र सिंह व बलजिन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 14.07.1998, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राईविंग लाईसेंस एवं बिजली के बिल में प्रार्थी का नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह अंकित है जिस आधार पर प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किये है एवं मुताबिक दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 15 एसडीएस की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 63/63 में प्रार्थी का नाम बलजिन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह के स्थान पर **"बलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह"** राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/2021

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner